<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>जनपद बस्ती</u>

दिनांक- 01.06.2023

थाना कलवारी व एस0ओ0जी0 टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना कलवारी क्षेत्र के ग्राम रामपुर में एक वृद्ध महिला की हुई हत्या का 72 घंटे के अंदर खुलासा, हत्या का आरोपी गिरफ्तारः-

दिनांक 31.05.2023 को थानाध्यक्ष कलवारी व एस0ओ0जी0 टीम की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक 27.05.2023 को ***वादिनी की मां बासमती देवी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात में रस्सी से गला दबाकर मार दिया गया,*** इस लिखित सूचना के आधार पर थाना कलवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 136/2023 धारा 302, 380, 457, 404, 411 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त बबलू पुत्र राम निहोर उर्फ निहोरे निवासी ग्राम रामपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती उम्र करीब 45 वर्ष को फुटहिया ओवर ब्रिज के पास से समय करीब 16.00 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पुर्ण कर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. बबलू पुत्र राम निहोर उर्फ निहोरे निवासी ग्राम रामपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद सफेद धातु चैन
02. एक अदद सफेद धातु अंगूठी
03. 1600 रुपये

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि मेरी मां बासमती देवी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात में रस्सी से गला दबाकर मार दिया गया इस लिखित सूचना के आधार पर थाना कलवारी पर मु0अ0सं0 136/23 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष कलवारी द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त बबलू पुत्र रामनिवास उर्फ निहारे निवासी ग्राम रामपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती उम्र करीब 45 वर्ष मुखबिर की सूचना पर फुटहिया चौराहे के पास से जनपद की एसओजी टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया मौके से अभियुक्त के पास से घटना कारित करने के दौरान अभियुक्त द्वारा चोरी किए गए सामान एक अदद सफेद धातु चैन, एक अदद सफेद धातु अंगूठी, 1600 रुपये की भी बरामदगी की गई ।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै चार भाई हू मेरी मेरी पत्नी नही है मेरी एक बेटी है जिसका भरण पोषण मेरा बड़ा भाई जो दिल्ली में रहता है वही करता है इस लिए मे अपनी जमीन उसी भई को दे दिया हु और मेरा एक भाई जो सपरिवार रामपुर गांव में रहते है उसकी पत्नी से बटवारे की बात को लेकर विवाद हो गया था मेरे पास पैसा नहीं था और मुझे यह पता था कि गांव में बासमती पत्नी राम दुलारे अपने घर में अकेले रहती है उसके लड़के और लड़कियां बाहर रहते हैं जिस कारण बासमती के घर में चोरी करने के नियत से उसके घर की बाउंड्री वाल को फांद कर आंगन में लगे आम के पेड़ के सहारे रामरूप के छत पर चढ़ गया था और वहां से बासमती के घर के ऊपर वाले कमरे में रखे 2000 रुपये चोरी करके वापस नीचे आ रहा था कि तब तक बासमती दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ गयी और किचन में लगे बल्ब की रोशनी में मुझे देख लिया और शोर मचाना चाही तो मैं अपने को बचाने के लिए उसका गला दबाकर दीवाल में लड़ाते हुए धकेल दिया और पास में रखे सिलबट्टे के लोहड़े को उसके सर पर मार दिया मुझे लगा कि वह मर गई है तो मैंने उसके पहने हुए गले की चैन व हाथ की अंगूठी निकाल कर वहां से भाग गया और तभी से लुक छुप कर इधर-उधर रह रहा हूं चोरी किए गए रुपयों में से ₹400 मैंने खर्च कर लिया है और शेष रुपए तथा चोरी का सामान मेरे पास ही मौजूद है मौके से अभियुक्त के पास से बरामद रुपया व वस्तु के आधार पर उक्त अभियुक्त को हिरासत में लेते हुए अन्य विधिक कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष कलवारी आलोक कुमार श्रीवास्तव जनपद बस्ती।
2. उपनिरीक्षक गजेंद्र सिंह प्रभारी एसओजी टीम जनपद बस्ती।
3. उ0नि0 शशिकान्त प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद बस्ती।
4. प्रभारी चौकी गायघाट उ0नि0 द्वारिका प्रसाद चौधरी थाना कलवारी जनपद बस्ती।
5. हे0का0 आनंद यादव, हे0का0 करमचंद, का0 अभिषेक सिंह, का0 साजिद जमाल, का0 गजेंद्र प्रताप सिंह, एसओजी टीम जनपद बस्ती।
6. हे0का0 जनार्दन, हे0का0 सतेन्द्र सिंह सर्विलांस सेल जनपद बस्ती।
7. का0 अरुण यादव, का0 आशुतोष द्विवेदी, का0 अवधराज यादव थाना कलवारी जनपद बस्ती।